



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 54-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 28, 2017 (CHAITRA 7, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2017

संख्या 13/15/2010-6परि0(I).— हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6परि0(1), दिनांक 5 जून, 2015 तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गई तालिका के खाना 2 में यथा विनिर्दिष्ट, मोटरयानों के संबंध में उक्त तालिका के खाना संख्या 3 में, नीचे टिप्पण में वर्णित अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर कर भुगतानयोग्य होगा, अर्थात् :-

तालिका

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणियाँ	कर की दर
1	2	3
1.	निजी प्रयोजन के लिए मोटरयान	
	(i) दुपहिया वाहन	
	(क) ₹ 0.75 लाख के मूल्य तक	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का चार प्रतिशत
	(ख) ₹ 0.75 लाख से अधिक तथा ₹ दो लाख के मूल्य तक	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का छह प्रतिशत
	(ग) ₹ दो लाख से अधिक मूल्य पर	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का आठ प्रतिशत

	(घ) उपरोक्त वर्णित वाहनों के साथ लगने वाली साईड कार तथा अशक्त यात्री गाड़ी	शून्य
	(ii) दुपहिया वाहन से भिन्न वाहन	
	(क) ₹ छह लाख के मूल्य तक	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का पांच प्रतिशत
	(ख) ₹ छह लाख से अधिक तथा ₹ बीस लाख के मूल्य तक	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का आठ प्रतिशत
	(ग) ₹ बीस लाख से अधिक मूल्य पर	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का दस प्रतिशत
2.	विशेष प्रयोजन के लिए मोटरयान	
	(क) उत्खनक, लोडर, बैकहो, कम्पैक्टर रोलर, मोटर ग्रेडर, मोबाईल क्रेन, डोजर, फोर्क लिफ्ट ट्रक, सेल्फ लोडिंग कन्क्रीट मिक्सर, रिग, जेनरेटर, कम्प्रेसर इत्यादि उपकरण सहित फिटिड वाहन, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैगन तथा पेड़ छाटाई यान, मोबाईल वर्कशॉप, मोबाईल कैंटीन, कैश वैन, मेल कैरियर, फायर टेन्डर, फायर फाईटिंग वाहन, मोबाईल क्लीनिक, एक्स-रे वैन, लाईब्रेरी वैन तथा पशु एम्बुलेंस।	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का छह प्रतिशत
	(ख) राज्य/केन्द्रीय सरकार के बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा रेडक्रॉस सोसाईटी या आयकर अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई ऐसी धर्मार्थ संस्था के स्वामित्वाधीन, जो इस तरह के वाहनों के इस्तेमाल के लिए शून्य/नाममात्र फीस लेते हों, के स्वामित्वाधीन फायर टेन्डर, फायर फाईटिंग वाहन, मोबाईल क्लीनिक, एक्स-रे वैन, लाईब्रेरी वैन, पशु एम्बुलेंस	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का एक प्रतिशत
	(ग) कैपर वैन तथा कैरावैन सहित निजी वैयक्तिक प्रयोजन के प्रयुक्त वाहन किन्तु क्रम संख्या 1 के अधीन नहीं आने वाले वाहन।	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का बारह प्रतिशत
3.	परिवहन वाहन (यात्री वाहन)	
	(क) हरियाणा में पंजीकृत यात्री वाहन	
	(i) समस्त भारत पर्यटक यान सहित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	
	(क) चालक को छोड़कर तीन सीट तक	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का दो प्रतिशत
	(ख) चालक को छोड़कर चार तथा अधिक सीट वाले (तिपहिया)	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ छह सौ प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ग) चालक को छोड़कर चार से छह सीट वाले (चार पहिया)	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ छह सौ प्रति सीट प्रति वर्ष
	(घ) चालक को छोड़कर सात से बारह सीट वाले (चार पहिया)	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ चौदह सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ii) चालक को छोड़कर बारह सीट से अधिक वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	
	(क) साधारण बस	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दो हजार पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ख) डीलक्स/सेमी डीलक्स	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दो हजार छह सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष

	(ग) साधारण ए.सी.	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दो हजार नौ सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(घ) डीलक्स/सेमी डीलक्स ए.सी.	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ चार हजार एक सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ङ) लग्जरी ए.सी.	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ चार हजार सात सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(iii) स्लीपर बस (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज)	
	(क) बीस तक क्षमता बर्थ/स्लीपर	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ आठ हजार प्रति बर्थ/स्लीपर प्रति वर्ष
	(ख) बीस से अधिक क्षमता बर्थ/स्लीपर	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दस हजार प्रति बर्थ/स्लीपर प्रति वर्ष
	(ग) स्लीपर बस में, सीट तथा बर्थ का संयोजन कुल बीस तक	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ चार हजार सात सौ पचास प्रति सीट तथा ₹ आठ हजार प्रति बर्थ/स्लीपर प्रति वर्ष
	(घ) स्लीपर बस में, सीट तथा बर्थ का संयोजन कुल बीस से अधिक	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ पांच हजार दो सौ पचास प्रति सीट तथा ₹ दस हजार प्रति बर्थ/स्लीपर प्रति वर्ष
	(iv) कैपर वैन तथा कैरावैन (कॉन्ट्रैक्ट कैरिज)	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का 12 प्रतिशत
	(v) हरियाणा राज्य परिवहन की स्टेज कैरिज (हरियाणा के निजी संचालकों को छोड़कर)	
	(क) साधारण बस	मासिक भुगतानयोग्य ₹ दो हजार तीन सौ पचासी और आठ रुपये चौरासी पैसे प्रति किलोमीटर
	(ख) डीलक्स/लग्जरी ए.सी. बस	मासिक भुगतानयोग्य ₹ दो हजार तीन सौ पचासी और ₹ सोलह प्रति किलोमीटर
	(vi) अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज	
	(क) साधारण बस	मासिक भुगतानयोग्य ₹ दो हजार तीन सौ पचासी और आठ रुपये चौरासी पैसे प्रति किलोमीटर
	(ख) डीलक्स/लग्जरी ए.सी. बस (40 सीटों वाले)	मासिक भुगतानयोग्य ₹ एक हजार आठ सौ चौतीस और ₹ सोलह प्रति किलोमीटर
	(ग) डीलक्स/लग्जरी ए.सी. बस (40 सीटों से अधिक)	मासिक भुगतानयोग्य ₹ दो हजार दो सौ छयालीस और उन्नीस रुपये साठ पैसे प्रति किलोमीटर
	(vii) स्टेज कैरिज स्कीम, 2016	
	(क) चालक को छोड़कर 30 से 32 सीटों वाले	₹ छह हजार प्रति मास
	(ख) चालक को छोड़कर 52 तथा अधिक सीटों वाले	₹ बारह हजार प्रति मास

(viii)	गुड़गांव तथा फरीदाबाद के लिए स्टेज कैरिज शहरी बस सेवा स्कीम, 2004	
	(क) साधारण हाफ बॉडी बस	₹ छह हजार दो सौ सत्तर प्रति मास
	(ख) साधारण फुल बॉडी बस	₹ दस हजार तीन सौ नब्बे प्रति मास
	(ग) डीलक्स फुल बॉडी बस	₹ चौदह हजार तीन सौ नब्बे प्रति मास
	(घ) वातानुकूलित फुल बॉडी बस	₹ सत्रह हजार तीन सौ नब्बे प्रति मास
(ix)	निजी सेवा वाहन (साधारण)	
	(क) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों वाले	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ एक हजार चार सौ पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ख) चालक को छोड़कर बारह सीटों से अधिक वाले	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दो हजार पचास प्रति सीट प्रति वर्ष
(x)	निजी सेवा वाहन (डीलक्स/लगजरी ए.सी.)	
	(क) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों वाले	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ दो हजार नौ सौ प्रति सीट प्रति वर्ष
	(ख) चालक को छोड़कर बारह सीटों से अधिक वाले	तिमाही भुगतानयोग्य ₹ चार हजार एक सौ प्रति सीट प्रति वर्ष
(xi)	शैक्षणिक संस्था वाहन	
	(क) शैक्षणिक संस्था बसें (साधारण) (स्कूल बसों को छोड़कर)	(i) वाहन शुल्क ₹ दो सौ से अधिक नहीं— शून्य (ii) यदि वाहन शुल्क ₹ दो सौ से अधिक है तो नौ मास के लिए ₹ साठ प्रति सीट प्रति मास (अप्रैल से जून—शून्य)
	(ख) स्कूलों के स्वामित्वाधीन बसें (साधारण)	(i) वाहन शुल्क ₹ दो सौ से अधिक नहीं— शून्य (ii) यदि वाहन शुल्क ₹ दो सौ से अधिक है तो नौ मास के लिए ₹ बीस प्रति सीट प्रति मास (अप्रैल से जून—शून्य)
	(ग) स्कूलों के स्वामित्वाधीन बसें (वातानुकूलित)	(i) वाहन शुल्क ₹ दो सौ से अधिक नहीं— शून्य (ii) यदि वाहन शुल्क ₹ दो सौ रुपये से अधिक है— एकमुश्त भुगतानयोग्य मासिक कर ₹ बीस प्रति सीट
(xii)	एम्बुलेंस	
	(क) राज्य/केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य/केन्द्रीय सरकार के बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी अथवा आयकर अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई ऐसी धर्मार्थ संस्था के स्वामित्वाधीन एम्बुलेंस, जो ऐसे वाहनों के उपयोग के लिए शून्य/नाममात्र फीस लेते हों	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का एक प्रतिशत

	(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित विभागों/कानूनी निकायों के स्वामित्वाधीन से भिन्न एम्बुलेंस जो ऐसे वाहनों के उपयोग के लिए शून्य/नाममात्र फीस लेते हों।	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का दो प्रतिशत
	(ग) लाभ अर्जित करने वाले अस्पताल/क्लीनिक/नर्सिंग होम से सम्बन्धित एम्बुलेंस।	एकमुश्त भुगतानयोग्य वाहन के मूल्य का छह प्रतिशत
	(ख) अन्य राज्यों के वाहन जब हरियाणा में प्रवेश तथा संचालित हों	
	(i) समस्त भारत पर्यटक यान सहित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	
	(क) चालक को छोड़कर तीन सीट तक वाले मोटर वाहन (दुपहिया/तिपहिया)	₹ पच्चीस प्रति दिन
	(ख) चालक को छोड़कर चार से छह सीट वाले (चार पहिया)	₹ एक सौ प्रति दिन
	(ग) चालक को छोड़कर सात से बारह सीट क्षमता वाले मोटर वाहन	₹ पांच सौ प्रति दिन
	(ii) समस्त भारत पर्यटक यान (साधारण) सहित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	
	(क) तेरह से बत्तीस तक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन (चालक को छोड़कर)	₹ सात सौ पचास प्रति दिन
	(ख) तैंतीस तथा अधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन (चालक को छोड़कर)	₹ एक हजार प्रति दिन
	(iii) समस्त भारत पर्यटक यान (डीलक्स ए.सी.) सहित कॉन्ट्रैक्ट कैरिज	
	(क) तेरह से बत्तीस तक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन (चालक को छोड़कर)	₹ एक हजार पांच सौ प्रति दिन
	(ख) तैंतीस तथा अधिक सीट क्षमता वाले मोटर वाहन (चालक को छोड़कर)	₹ तीन हजार प्रति दिन
	(iv) किसी अन्य राज्य में पंजीकृत कोई अन्य वाहन, किन्तु कैपर वैन/कैरावन, लग्जरी बसों जैसे वोल्वो, मर्सिडीज इत्यादि सहित उपरोक्त श्रेणी (i), (ii) तथा (iii) के अधीन नहीं आने वाले मोटरयान।	₹ तीन हजार प्रति एकल यात्रा
4.	परिवहन वाहन (माल वाहक)	
	(i) हरियाणा में पंजीकृत माल वाहन	तिमाही भुगतानयोग्य वार्षिक कर की दर
	(क) 1.2 टन से अधिक नहीं	₹ पांच सौ
	(ख) 1.2 टन से अधिक किन्तु 6 टन से अधिक नहीं	₹ सात हजार आठ सौ पचहतर
	(ग) 6 टन से अधिक किन्तु 16.2 टन से अधिक नहीं	₹ दस हजार चार सौ
	(घ) 16.2 टन से अधिक किन्तु 25 टन से अधिक नहीं	₹ सौलह हजार चार सौ
	(ङ) 25 टन से अधिक	₹ चौबीस हजार चार सौ
	(ii) अन्य राज्यों के माल वाहक जब हरियाणा में प्रवेश तथा संचालित हों	
	(क) राष्ट्रीय परमिट रखने वाले हरियाणा में या उसके बीच में से संचालन करने वाले अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के माल वाहक	शून्य
	(ख) अन्य राज्यों के राष्ट्रीय परमिट रखने वालों से भिन्न माल वाहक	तिमाही भुगतानयोग्य वार्षिक देय कर का तीस प्रतिशत

	(iii) अन्य राज्यों के विशेष प्रयोजन वाहन जब हरियाणा में प्रवेश तथा संचालित हों	
	(ग) उत्तखनक, लोडर, बैकहो, कॅम्पैक्टर रोलर, मोटर ग्रेडर, मोबाईल क्रेन, डोजर, फोर्क लिफ्ट ट्रक, सेल्फ लोडिंग कन्क्रीट मिक्सर, रिग, जेनरेटर, कम्प्रेसर इत्यादि उपकरण सहित फिटिड वाहन, टो ट्रक, ब्रेक डाउन वैन, रिकवरी यान, टॉवर वैन तथा पेड़ छंटाई यान, मोबाईल वर्कशॉप, मोबाईल कैंटीन, कैश वैन, मेल कैरियर, मोबाईल क्लीनिक, एक्स-रे वैन तथा लाईब्रेरी वैन।	₹ पांच सौ प्रति दिन
	(घ) फायर टेन्डर, फायर फाइटिंग वाहन, एम्बुलेंस तथा पशु एम्बुलेंस।	शून्य
5.	केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों द्वारा स्वामित्वाधीन और उपयोग के लिए रखे गए मोटरयान जिसमें वाणिज्यिक के लिए चल रहे भारतीय रेलवे व हरियाणा रोडवेज के मोटरयान शामिल नहीं हैं।	शून्य
6.	हरियाणा के भीतर स्थित किसी भी नगरपालिका के द्वारा स्वामित्वाधीन और उपयोग के लिए रखे गए मोटरयान।	शून्य
7.	अस्थाई तौर पर हरियाणा में लाए गए और तीस दिनों से अधिक अवधि के लिए रखे गए व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मोटर वाहन।	शून्य
8.	केवल शव-यान के रूप में उपयोग के लिए रखे गए मोटरयान।	शून्य
9.	ट्रेड सर्टिफिकेट के प्राधिकार पर तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 41 में उल्लिखित प्रयोजनों में से एक के लिए प्रयुक्त वाहन।	शून्य
10.	मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 139 के अधीन चल रहे विदेशी देश के मोटरयानों, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे विदेशी देश से प्रासंगिक पारस्परिक समझौते में ऐसी छूट का प्रावधान किया गया हो।	शून्य

परन्तु हरियाणा में अस्थायी रूप से प्रविष्ट होने वाले अन्य राज्यों के निजी सेवा वाहन तथा शैक्षणिक संस्था बसों से उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार वाहनों की श्रेणियों के लिए प्रत्येक के सामने यथावर्णित तिमाही भुगतानयोग्य वार्षिक देय कर का तीस प्रतिशत की दर से कर प्रभारित किया जाएगा।

टिप्पण:-

- (क) कर की उपरोक्त दरें प्रथम अप्रैल, 2017 से लागू होंगी।
- (ख) कर की संगणना के लिए मोटरयान का मूल्य -
- नए वाहन की दशा में एक्स शोरूम कीमत होगी;
 - भारत से बाहर निर्मित वाहन की दशा में, भारत के राज्यक्षेत्र में इसके आयात के समय माल भाड़ा तथा करों तथा शुल्कों सहित भारतीय मुद्रा में क्रय कीमत होगी;
 - किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की नीलामी के द्वारा, वाहन निपटान की दशा में, वाहन का नीलामी धन (करों सहित) होगा;
 - पहले से पंजीकृत वाहनों की दशा में, मूल्य उसी प्रकार के वाहनों की वर्तमान एक्स शोरूम कीमत होगी, जिसमें प्रत्येक वर्ष जिसके लिए राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश को कर का भुगतान कर दिया था, के लिए सात प्रतिशत की दर से छूट होगी। त्रैमासिक-वर्ष में कर की अदायगी की दशा में छूट, 1.75 प्रतिशत प्रति त्रैमास-वर्ष की दर से संगणित की जाएगी। कुल अधिकतम छूट 56 प्रतिशत से अधिक अनुमत नहीं होगी।
- (ग) वाहन खरीदने के बाद किए गए निर्माण अथवा उपान्तरण के मामले में, कर की संगणना के प्रयोजन के लिए मूल्य, चैसिज की एक्स शोरूम कीमत के 150 प्रतिशत के रूप में या वाहन की वास्तविक लागत अर्थात् चैसिज की लागत तथा बॉडी के निर्माण की लागत, जो भी अधिक हो, लिया जाएगा।

- (घ) जहां किसी मोटर वाहन के सम्बन्ध में देय कर वाहन स्वामी या वह व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में वाहन है द्वारा निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया गया है, तब देय कर के भुगतान के अतिरिक्त वह देय कर के विलम्ब की 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से शास्ति का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा। शास्ति की वास्तविक राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।
- (ङ) हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसार देय कर तथा शास्ति पर विलम्बित अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।
- (च) यदि राज्य में पंजीकृत वाहन देय कर के बिना या उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन जिसके लिए उसे परमिट प्रदान किया गया है प्रयुक्त किया जाना पाया जाता है, तो हल्के मोटरयान की दशा में, ₹ 10,000/- तथा अन्य मोटरयान की दशा में, ₹ 25,000/- की दर से शास्ति प्रभारित की जाएगी।
- (छ) यदि अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन हरियाणा में देय कर के बिना या उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन जिसके लिए उसे परमिट प्रदान किया गया है प्रयुक्त किया जाना पाया जाता है तो हल्के मोटरयान की दशा में, ₹ 20,000/- तथा अन्य मोटरयान की दशा में, ₹ 50,000/- की दर से शास्ति प्रभारित की जाएगी।
- (ज) कर की कुल राशि हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की अनुसूची में वर्णित अधिकतम कर से अधिक नहीं होगी।
- (झ) 'दिवस' से अभिप्राय होगा, 24 घण्टों की अवधि। 'तिमाही' से अभिप्राय होगा, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर तथा अक्टूबर से दिसम्बर। 'वर्ष' से अभिप्राय होगा, जनवरी से दिसम्बर, अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून तथा अक्टूबर से सितम्बर, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि।
- (ञ) कर निम्नानुसार भुगतानयोग्य होगा:-
- (i) नये वाहनों की दशा में, उसके क्रय की तिथि से तीस दिन के भीतर,
 - (ii) हरियाणा राज्य में पहले से पंजीकृत मासिक/तिमाही/वार्षिक कर भुगतान करने वाले परिवहन वाहनों की दशा में, मास/तिमाही/वर्ष के आरम्भ से दस दिन के भीतर, और
 - (ii) अन्य राज्यों से हरियाणा में अन्तरित वाहनों की दशा में, हरियाणा में वाहन के रखे जाने की तिथि से तीस दिन के भीतर।
- (ट) यदि मालवाहक का स्वामी मासिक/तिमाही के स्थान पर कर का वार्षिक भुगतान करता है तो वार्षिक कर में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (ठ) चैसिज़ के रूप में खरीदे गए वाहन की दशा में, कर वाहन के निर्माण की तिथि से अथवा चैसिज़ की खरीद की तिथि से पचहतर दिन की अवधि, जो भी पहले हो, भुगतानयोग्य होगा।
- (ड) हरियाणा राज्य परिवहन की स्टेज कैरिज (हरियाणा के निजी संचालकों को छोड़कर) की दशा में, कर दो हजार तीन सौ पचासी रुपये प्रति बस प्रति मास की दर से टिकटों की बिक्री से कुल हरियाणा ट्रेफिक प्राप्ति के 21.5 प्रतिशत के साथ केवल तिमाही भुगतानयोग्य प्रभारित किया जाएगा।
- (ढ) (i) "साधारण बस" से अभिप्राय है, न्यूनतम मूलभूत आरामदायक स्तर के लिए डिजाइन की गई बस¹।
(ii) "साधारण ए.सी. बस" से अभिप्राय है, साधारण बस जो वातानुकूलित है।
(iii) "सेमी डीलक्स बस" से अभिप्राय है, एगोर्नॉमिक रूप से डिजाइन सीटों के प्रावधान के साथ कुछ अधिक आरामदायक स्तर के लिए डिजाइन की गई बस¹।
(iv) "डीलक्स बस" से अभिप्राय है, आरामदायक स्तर से अधिक तथा व्यक्तिगत सीटों और समायोज्य सीट बैक, सुधारित वेंटिलेशन तथा मनभावक आंतरिक भाग के लिए डिजाइन की गई बस¹।
(v) "डीलक्स/सेमी डीलक्स ए.सी. बस" से अभिप्राय है, डीलक्स/सेमी डीलक्स बस जो वातानुकूलित है।
(vi) "डीलक्स बस (ए.सी.)" से अभिप्राय है, डीलक्स बस जो वातानुकूलित है¹।
(vii) "लगज़री ए.सी. बस" से अभिप्राय है, वोल्वो, मर्सिडिज़ इत्यादि जैसी डीलक्स ए.सी. बस से अधिक आरामदायक बस।

एस० एस० ढिल्लों,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

परिवहन विभाग।

¹ एआईएस:052 के अनुसार परिभाषा

HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 28th March, 2017

No. 13/15/2010-6T(I).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016) and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 13/15/2010-6T(1), dated the 5th June, 2015 and all other notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby specifies that the tax in respect of the motor vehicles, as specified in column number 2 of the table given below shall be payable at the rate, specified against each, in column number 3 of the said table, subject to other conditions mentioned in note below, namely:-

Table

Serial Number	Categories of motor vehicle	Rate of tax
1	2	3
1.	Vehicle for personal purpose	
	(i) Two-wheeled vehicle	
	(a) Upto the cost of ₹ 0.75 lakh	4% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(b) Above the cost of ₹ 0.75 lakh and upto ₹ 2 lakh	6% of the cost of the vehicle payable one-time
	(c) Above the cost of ₹2 lakh	8% of the cost of the vehicle payable one-time
	(d) Aside car drawn by the vehicles mentioned above and invalid carriage.	Nil
	(ii) Vehicle other than two-wheeled vehicle	
	(a) Upto the cost of ₹6 lakh	5% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(b) Above the cost of ₹6 lakh and upto ₹20 lakh	8% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(c) Above the cost of ₹20 lakh	10% of the cost of the vehicle payable one-time.
2.	Vehicle for special purpose	
	(a) Excavator, Loader, Backhoe, Compactor Roller, Motor Grader, Mobile Crane, Dozer, Fork Lift Truck, Self-Loading Concrete Mixer, Vehicles fitted with equipments like rig, generator, compressor etc., Tow Truck, Brake-down Van, Recovery Vehicle, Tower Wagon and Tree Trimming Vehicle, Mobile workshop, Mobile canteen, Cash Van, Mail carrier, Fire tender, fire fighting vehicle, Mobile Clinic, X-ray Van, Library Van and Animal Ambulance.	6% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(b) Fire tender, Fire fighting vehicle, Mobile Clinic, X-ray van, Library van, Animal ambulance owned by Boards/Corporations/Public Sector Undertakings of State/Central Government or by Red-Cross Society or any such Charitable body registered under the Income Tax Act, charging nil/nominal fees for use of such vehicles.	1% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(c) Vehicles used for personal purpose including camper van and caravan but not covered under serial number 1.	12% of the cost of the vehicle payable one-time.

3.	Transport vehicles (Passenger carriages)	
	(A) Passenger Vehicles Registered in Haryana	
	(i) Contract Carriage including All India Tourist Vehicles	
	(a) Up to three seats excluding driver	One-time tax @ 2% of the cost of the vehicle.
	(b) Having four and above seats excluding driver (three wheelers)	₹600/- per seat per year payable quarterly.
	(c) Having four to six seats excluding driver (four wheeler)	₹625/- per seat per year payable quarterly.
	(d) Seven to twelve seats excluding driver (four wheeler)	₹1450/- per seat per year payable quarterly.
	(ii) Contract carriage above twelve seats excluding driver	
	(a) Ordinary bus	₹2050/- per seat per year payable quarterly.
	(b) Deluxe/Semi deluxe	₹2650/- per seat per year payable quarterly.
	(c) Ordinary AC	₹2950/- per seat per year payable quarterly.
	(d) Deluxe/Semi deluxe AC	₹4150/- per seat per year payable quarterly.
	(e) Luxury AC	₹4750/- per seat per year payable quarterly.
	(iii) Sleeper Bus(contract carriage)	
	(a) Berth/Sleeper Capacity up to twenty	₹8000/- per berth/sleeper per year payable quarterly.
	(b) Berth/Sleeper Capacity more than twenty	₹10000/- per berth/sleeper per year payable quarterly.
	(c) In sleeper bus, combination of seat and berth total upto twenty	₹4750/- per seat and ₹8000/- per berth/sleeper per year payable quarterly.
	(d) In sleeper bus, combination of seat and berth total above twenty	₹5250/- per seat and ₹10000/- per berth/sleeper per year payable quarterly.
	(iv) Camper van/Caravan (contract carriage)	12% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(v) Stage Carriage of Haryana Roadways (except private operators of Haryana)	
	(a) Ordinary bus	₹2385 and ₹8.84 per kilometer payable monthly.
	(b) Deluxe/Luxury AC bus	₹2385 and ₹16.00 per kilometer payable monthly.
	(vi) Stage Carriage of other States	
	(a) Ordinary bus	₹2385 and ₹8.84 per kilometer payable monthly.

	(b) Deluxe/Luxury AC bus (40 seats)	₹1834 and ₹16.00 per kilometer payable monthly.
	(c) Deluxe/Luxury AC bus (above 40 seats)	₹2246 and ₹19.60 per kilometer payable monthly.
	(vii) Stage carriage Scheme, 2016	
	(a) Having thirty to thirty two seats excluding driver.	₹6000 per month.
	(b) Having fifty two and above seats excluding driver.	₹12000 per month.
	(viii) Stage carriage City Bus Service Scheme, 2004 for Gurgaon and Faridabad	
	(a) Ordinary half body bus	₹6270 per month.
	(b) Ordinary full body bus	₹10390 per month.
	(c) Deluxe full body bus	₹14390 per month.
	(d) Air conditioned full body bus	₹17390 per month.
	(ix) Private Service Vehicle (Ordinary)	
	(a) Having six to twelve seats excluding driver	₹1450/- per seat per annum payable quarterly.
	(b) Above twelve seats excluding driver	₹2050/- per seat per annum payable quarterly.
	(x) Private Service Vehicle (Deluxe/luxury AC)	
	(a) Having six to twelve seats excluding driver	₹2900/- per seat per annum payable quarterly.
	(b) Above twelve seats excluding driver	₹4100/- per seat per annum payable quarterly.
	(xi) Educational Institution vehicles	
	(a) Educational Institution buses (ordinary) (other than school buses)	(i) If conveyance fees is not exceeding ₹200/- Nil. (ii) @60/- per seat per month for nine months if conveyance fees is above ₹200/- (April to June - Nil).
	(b) Buses owned by schools (ordinary)	(i) If conveyance fees is not exceeding ₹200/- Nil. (ii) @20/- per seat per month for nine months if conveyance fees is above ₹200/-.
	(c) Buses owned by schools (Air Conditioned)	(i) If conveyance fees is not exceeding ₹200/- Nil. (ii) Exceeding ₹200/- monthly lump-sum payable tax ₹20/- per seat per month.

	(xii) Ambulance	
	(a) Owned by State/Central Government Departments, Board/Corporations/Public Sector Undertaking of State/Central Government or by Red Cross Society or any such Charitable Body registered under the Income Tax Act charging Nil/Nominal fee for use of such vehicles.	1% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(b) Other than those owned by Departments/Statutory Bodies mentioned at (a) above charging Nil/Nominal fee for use of such vehicles.	2% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(c) Belonging to Hospital/Clinics/Nursing Homes earning profit	6% of the cost of the vehicle payable one-time.
	(B) Vehicles of other States when entering and plying in Haryana	
	(i) Contract Carriage including All India Tourist Vehicle	
	(a) Having upto three seats excluding driver (two/three wheelers)	₹25 per day.
	(b) Motor vehicle with seating capacity four to six seats excluding driver (four wheeler)	₹100 per day.
	(c) Motor vehicle with seating capacity seven to twelve excluding driver	₹500 per day.
	(ii) Contract Carriage including All India Tourist Vehicle (Ordinary)	
	(a) Motor vehicle with seating capacity thirteen to thirty two (excluding driver)	₹750 per day.
	(b) Motor vehicle with seating capacity thirty three and above (excluding driver)	₹1000 per day.
	(iii) Contract Carriage including All India Tourist Vehicle (Deluxe AC)	
	(a) Motor vehicle with seating capacity thirteen to thirty two (excluding driver)	₹1500 per day.
	(b) Motor vehicle with seating capacity thirty three and above (excluding driver)	₹3000 per day.
	(iv) Any other vehicle registered in any other State but not covered under category (i), (ii) and (iii) above including camper van/caravan, luxury AC buses like Volvo, Mercedes etc.	₹3000 per single journey.
4.	Transport vehicles (Goods Carriages)	
	(i) Goods Vehicles Registered in Haryana	Rate of Annual Tax payable quarterly
	(a) Not exceeding 1.2 tonne	₹500.00
	(b) Exceeding 1.2 tonne but not exceeding 6 tonnes	₹7875.00
	(c) Exceeding 6 tonnes but not exceeding 16.2 tonnes	₹10400.00
	(d) Exceeding 16.2 tonnes but not exceeding 25 tonnes	₹16400.00
	(e) Exceeding 25 tonnes	₹24400.00
	(ii) Goods carriages of other States when entering and plying in Haryana	
	(a) Goods Carriage of other States and Union Territories operating in or through Haryana Holding National Permit.	Nil

	(b) Goods Carriage other than those holding national permit of other States.	30% of annual tax due payable quarterly
	(iii) Special purpose vehicles of other States when entering and plying in Haryana	
	(c) Excavator, Loader, Backhoe, Compactor Roller, Motor Grader, Mobile Crane, Dozer, Fork Lift Truck, Self-Loading Concrete Mixer, Vehicles fitted with equipments like rig, generator, compressor etc., Tow Truck, Brake-down Van, Recovery Vehicle, Tower Wagon and Tree Trimming Vehicle, Mobile workshop, Mobile canteen, Cash Van, Mail carrier, Mobile Clinic, X-ray Van, Library Van.	₹500 per day.
	(d) Fire tender, fire fighting vehicle, Ambulance and Animal Ambulance	Nil
5.	Motor vehicles owned and kept for use by departments of the Central or State Government except those belonging to the Indian Railways or Haryana Roadways, operating for a commercial purpose;	Nil
6.	Motor vehicles owned and kept for use by any Municipal body situated within Haryana;	Nil
7.	Motor vehicles used for personal purposes, temporarily brought in to Haryana and kept for use therein for a period not exceeding thirty days;	Nil
8.	Motor vehicles kept exclusively for use as hearses;	Nil
9.	Vehicles used on the authority of a Trade Certificate and for one of the purposes mentioned in rule 41 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;	Nil
10.	Motor vehicles of a foreign country operating under section 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 provided a provision for such exemption is made by the Central Government in the relevant reciprocal agreement with such foreign country.	Nil

Provided that the tax from the private service vehicles and educational institution buses of other States entering Haryana temporarily shall be charged @ 30% of the annual tax due payable quarterly as per the rates specified in the above table for the categories of vehicles as mentioned against each of them.

Note.—

- (a) The above rates of tax shall be applicable with effect from the 1st April, 2017.
- (b) The cost of motor vehicle for computation of tax in case of-
 - (i) new vehicle, shall be the ex-showroom price.
 - (ii) vehicle manufactured out of India, shall be the purchase price in Indian currency including freight, and taxes and duties levied at the time of its import into the territory of India;
 - (iii) disposal of a vehicle of any State/Central Government or Government Undertaking by way of auction, shall be the auction money (including taxes) of the vehicle;
 - (iv) already registered vehicles, the cost shall be the present ex-showroom price of similar vehicle, rebated at the rate of 7% for each year for which tax was paid to a State Government/UT. In case of payment of tax in quarter-year, the rebate shall be calculated at the rate of 1.75% per quarter-year. The total maximum rebate allowed shall not exceed 56%.
- (c) In case a vehicle is fabricated or modified after purchase, the cost shall be taken as 150% of the ex-showroom price of the chassis or the actual cost of the vehicle i.e. cost of chassis and cost of fabrication of body whichever is higher for the purpose of the computation of tax.
- (d) Where the tax due in respect of any motor vehicle has not been paid by the owner or the person having the possession or control thereof, within the specified time, then in addition to payment of the tax due,

he shall also be liable to pay penalty @ 0.5% of the tax due for each day of delay. The actual amount of penalty shall not exceed the amount of tax due.

- (e) Simple interest @ 1.5% per month on the tax due and penalty shall also be charged for the delayed period as per sub-section (2) of section 10 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016).
- (f) In case a vehicle registered in the State is found to be used without paying the due tax or for a different purpose than the purpose for which it is granted a permit, penalty of ₹10,000/- shall be charged in the case of a light motor vehicle and ₹25,000/- in the case of other motor vehicles.
- (g) In case a vehicle registered in other State and is found plying in Haryana without paying the due tax or for a different purpose than the purpose for which it is granted a permit, penalty of ₹20,000/- shall be charged in the case of a light motor vehicle and ₹50,000/- in the case of other motor vehicles.
- (h) The total amount of tax shall not exceed the maximum tax mentioned in the Schedule of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016).
- (i) The 'day' shall mean a period of 24 hours. The 'quarter' shall mean a period from January to March or April to June or July to September or October to December. The 'year' shall mean a period from January to December or from April to March or from July to June or from October to September, as the case may be.
- (j) The tax shall be payable as under:-
 - (i) in the case of a new vehicle, within 30 days from the date of its purchase;
 - (ii) in case of transport vehicles already registered in the State of Haryana, paying tax monthly/quarterly/yearly, within 10 days of the commencement of month/quarter/year; and
 - (iii) in the case of a vehicle transferred in Haryana from other State, within thirty days from the date of keeping the vehicle in Haryana.
- (k) If the owner of goods carriage, paying tax on monthly/quarterly basis, deposits tax for a year, a rebate of 10% in annual tax shall be given.
- (l) In the case of a vehicle purchased as a chassis, the tax shall be payable w.e.f. the date the vehicle is fabricated or a period of seventy five days from the date of purchase of chassis, whichever is earlier.
- (m) In the case of stage carriages of Haryana Roadways (except private operators of Haryana) the tax at the rate of ₹2385 per bus per month alongwith 21.5% of the total Haryana traffic receipt from sale of tickets only payable quarterly will be charged.
- (n)
 - (i) "Ordinary Bus" means bus designed for basic minimum comfort level¹.
 - (ii) "Ordinary A.C. Bus" means Ordinary Bus which is air conditioned.
 - (iii) "Semi Deluxe Bus" means a bus designed for a slightly higher comfort level with provision for ergonomically designed seats¹.
 - (iv) "Deluxe Bus" means a bus designed for a high comfort level and individual seats and adjustable seat backs, improved ventilation and pleasing interiors¹.
 - (v) "Deluxe/Semi Deluxe A.C. Bus" means Deluxe/Semi Deluxe Bus which is air conditioned.
 - (vi) "Deluxe Bus (A.C.)" means a Deluxe Bus which is air conditioned¹.
 - (vii) "Luxury A.C. Bus" means bus having more comfort level than Deluxe Bus (A.C.) like Volvo, Mercedes etc.

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

¹ Definition as per AIS:052